पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29-08-2020

दिनांक 28/29-08-2020 को रात्रि थाना अमीनाबाद 01, गोसाईगंज 01, गोमतीनगर 01, मड़ियाँव 02 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अभियुक्त गिरफ्तार।

पारा:-दिनांक 29-08-2020 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि दिनांक 28-08-2020 को वादी श्री झुगनू पुत्र कल्लू निवासी कां0ीराम कालोनी फेस-02 सदरौना थाना पारा लखनऊ द्वारा थाना पारा पर धारा 306 भादवि का अभियोग बनाम 1-समीर 2-समीर की मां के विरुद्ध इस सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था कि समीर पुत्र जमील निवासी 29/4 कां0ीराम कालोनी फेस-2 का रहना वाला है, जिसकी मां वादी के घर पर रोजी और समीर की ाादी के लिए दिनांक 26-08-2020 को रात्रि में वादी के घर पर आयी थी, और वादी की लड़की रोजी से बोली कि मुझे ाादी में 02 लाख रुपया चाहिए तभी मैं अपने लड़के की ाादी तुम्हारी बेटी से करुंगी, वादी की बेटी रोजी व समीर की सगाई दिनांक 05-07-2020 को हो गयी थी। इसी बात को लेकर वादी की बेटी रोजी उम्र करीब 18 वर्ा ने काफी परे0ान होकर दिनांक 26-08-2020 को ही छत से कूद गयी, जिसका इलाज वह ट्रांमा सेन्टर में करा रहा था। दिनांक 28-08-2020 को इलाज के दौरान मृत्यु वादी की पुत्री रोजी उम्र करीब 18 वर्ा की मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुभाा चन्द्र थाना पारा लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 29-08-2020 को** एस0आई0 श्री सुभाा चन्द्र, महिला आरक्षी लक्ष्मी थाना पारा लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त **1-समीर पुत्र जमील निवासी 29/4 का0ीराम कालोनी सदरौना फेस-02 थाना पारा लखनऊ 2-श्रीमती सीमा पत्नी जमील निवासी 29/4 का0ीराम कालोनी सदरौना फेस-02 थाना पारा लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर सदरौना फेस-02 पारा से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पारा पर आव0यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 सेन्ट्रल

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बंथरा:-दिनांक 29-08-2020 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 24-05-2020 को वादिनी श्रीमती आ0ाा देवी पत्नी स्व0 उमा ांकर निवासी ग्राम व पोस्ट

नातीखेड़ा थाना पुरावा जनपद उन्नाव द्वारा थाना बंथरा पर अपनी पुत्री रो८ानी उम्र करीब 23 व६ा के सम्बन्ध में धारा 498/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 01-विनीत (पति) 02-श्रीकांत (जेठ) 03-फूलमती (सास) निवासीगण ग्राम ऐन थाना बंथरा लखनऊ के विरूद्व इस सम्बन्ध में पजीकृत कराया गया था, कि दिनांक 24-05-2020 को वादिनी की पुत्री श्रीमती रो८ानी उम्र करीब 23 व६ा के उसके ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लोकर वादिनी की पुत्री की साड़ी से गला दबा कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 कृ६णानगर महोदय द्वारा की जा रही थी। जिनके निर्दे८ान में** आज दिनांक 29-08-2020 को एस0आई0 श्री संतो६ा कुमार थाना बंथरा लखनऊ द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त **01-विनीत कुमार (पति) पुत्र स्व0 बुद्धीलाल निवासी ग्राम ऐन थाना बंथरा लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कंजाखेड़ा चौराहा बंथरा से गिरफ्तार कर थाना बंथरा पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>भा0द0वि0</u>

<u>गोमतीनगर:</u>-दिनांक 29-08-2020 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 बैजनाथ सिंह निवासी 69 पु६पायन नेहरु इन्क्लेव थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 28-08-2020 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि वादी ने अपनी स्कार्पियों गाड़ी नं0 यूपी 60 एई-8373 को अपने घर के बाहर खड़ी किया था। आज दिनांक 29-08-2020 को प्रात: जब वादी अपने घर के बाहर आया तो देखा कि वादी की स्कार्पियों गाड़ी को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 675/2020 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रमोद कुमार सिंह मो0नं0 7905050789 द्वारा की जा रही है।**